बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 3 सत्र- 190वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 28.11.2018 ई.

माननीय कार्यकारी सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 3.10 अपराह्न तक

1. आसन को सूचना

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने आसन को सूचना दी कि मधुबनी जिला के फुलपरास के चार मजदूरों की संदिग्ध रूप से हरियाणा में मौत हो गई है। अत: माननीय मंत्री बिजेन्द्र बाबू से आग्रह है कि हरियाणा सरकार से उसके बारे में डिटेल्स मंगवा लें कि किस परिस्थिति में संदिग्ध रूप से उनकी मौत हुई है और उनलोगों को सरकार सुरक्षा प्रदान करे। इसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि सरकार ने सूचना ग्रहण की।

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही राजद के माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे ने कार्यस्थगन के माध्यम से "अस्थाना, सुशील मोदी और पी.एम.ओ. लालू के खिलाफ केस दर्ज करने का दवाव बना रहे थे : सीबीआई निदेशक, आलोक वर्मा" शीर्षक से छपी खबर की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया एवं इसकी प्रति सदन पटल पर

रखी। इसपर माननीय मंत्रिगण, श्री श्रवण कुमार एवं श्री विनोद नारायण झा सहित सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। राजद के माननीय सदस्यगण (माननीया नेता, विरोधी दल, श्रीमती राबड़ी देवी एवं डा. रामचन्द्र पूर्वे को छोड़कर) सदन बेश्म में चले आये तथा पोस्टर दिखाते हुए नारेबाजी करने लगे। इस अवसर पर कांग्रेस के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े रहे।

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र पूर्वे से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या- 4, 6, 10, 12, 13 एवं 24 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

साथ ही, यह भी नियमन देने की कृपा की गई कि जो भी असंसदीय शब्द हैं, उन्हें कार्यवाही से निकाला जाय, नहीं लिखा जाय।

आरोप-प्रत्यारोप तथा व्यवधान के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा था। आसन से खड़े होकर माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने माननीय सदस्यों से बैठने का अनुरोध किया तथा कहा कि सदन को चलने दीजिए, जनहित के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हंगामा क्यों करना चाहते हैं, कृपया बैठिये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। हम बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग सीमा पार न करें, अगर आप सीमा पार करेंगे तो आसन अपना काम करेगा। आपने अपनी बात रखी और वेल में आए हुए हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मात्र तीन दिन सदन का सत्र बचा है, जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, प्रेमचन्द्र मिश्रा जी का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सदन को चलने दीजिए। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। परंतु यथावत् आरोप-प्रत्यारोप जारी रहा। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था।

3. औपचारिक कार्य

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 205 (ग) (1) के अनुसरण में बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2018 की बैठक में यथापारित **बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018** की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इस विधेयक पर आज दिनांक 1.45 अपराह्न तक संशोधन लिये जाएंगे।

4. **परिनियत कार्य**

1. माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा राज्य सूचना आयोग के वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

5. **आसन का नियमन**

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि जिन अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, और, मैं समझता हूं कि सभी का उत्तर माननीय मंत्री के पास तैयार होगा, कृपया उसे सदन के पटल पर रख दें।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 13, 14, 15, 17, 18 सदन पटल पर रखे गये।
प्रश्न संख्या- 11, 12, 16 अनागत हुए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 41, 42 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 अनागत हुए।

इस बीच सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

अंतराल के बाद सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे ने पुन: अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय पूर्वे जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आज छह में से तीन ध्यानाकर्षण आप ही लोगों का है, कृपया सदन चलने दें। This was your sentence, rarest of the rare. आपको हमने समय

दिया। हम अलग से दो घंटे का डिबेट कराएंगे, अब बैठ जाईए। आपकी कोई भी चीज प्रोसिडिंग में नहीं आएगी।

(इस अवसर पर माननीया नेता, विरोधी दल, श्रीमती राबड़ी देवी एवं माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे अपने स्थान पर खड़े रहे जबकि राजद के पांच माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने वेश्म से हो रही नारेबाजी पर अनुरोध किया कि आप बैठिये, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। परंतु यथावत् नारेबाजी होती रही।

6. आसन का नियमन एवं राजद के 5 माननीय सदस्यों का निलंबन

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने आसन से सदन की अनुमति से राजद के 5 माननीय सदस्यों- माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार, श्री दिलीप राय, श्री सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसीन, श्री राधाचरण साह एवं श्री कमर आलम को 5.00 अपराह्न तक के लिए निलंबित करने की घोषणा की तथा आदेश दिया कि आपलोग सदन से बाहर चले जाएं। परंतु इस बीच माननीया नेता, विरोधी दल, श्रीमती राबड़ी देवी तथा माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे भी अपने स्थानों से उठकर सदन वेश्म में चले आए तथा राजद के निलंबित माननीय सदस्यों को सदन से बाहर जाने से मना किया। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने राजद के माननीय सदस्यों से कहा कि आप आसन का अपमान कर रहे हैं, सुबोध जी आपकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। आप आसन को बाध्य कर रहे हैं। उन्होंने आदेश देने की कृपा की कि राजद के सभी माननीय सदस्यों को मार्शल आउट किया जाए। परंतु जब मार्शल अन्य सुरक्षा प्रहरियों के साथ वेश्म से माननीय सदस्यों को निकालने गये तो माननीया नेता, विरोधी दल, श्रीमती राबड़ी देवी मार्शल सहित सुरक्षा प्रहरियों की अनदेखी करते हुए सदन वेश्म में राजद के सभी माननीय सदस्यों सहित बैठ गईं। अंत में आसन ने सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में सदन को 3.00 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीया नेता, विरोधी दल, श्रीमती राबड़ी देवी एवं माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे अपने स्थानों पर खड़े थे। माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे ने पुन: कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। जबकि राजद के माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार, श्री दिलीप राय, श्री सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसीन, श्री राधाचरण साह एवं श्री कमर आलम सदन वेश्म में खड़े रहे तथा कांग्रेस के माननीय सदस्य, श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा सदन वेश्म में चले आए। इस अवसर पर माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया एवं नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्यों की आसन के प्रति जिम्मेदारी है और नियमावली में भी लिखा है कि जब सभापति खड़े

हो जाएं जो आप बैठ जाएंगे। इसी में यह भी लिखा है कि सदन में तख्ती लेकर आना मना है।

इस अवसर पर राजद एवं सत्तापक्ष के माननीय सदस्य एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने पुन: निलंबित माननीय सदस्यों से सदन से बाहर चले जाने को कहा, परंतु वे बाहर नहीं गये और सदन वेश्म में बैठे रहे तथा उनके साथ माननीया नेता, विरोधी दल, श्रीमती राबड़ी देवी एवं माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे भी आकर सदन वेश्म में बैठ गये।

7. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आज की कार्यसूची में अंकित ध्यानाकर्षणों को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है।

8. राजकीय विधेयक

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. डा. संजीव कमार सिंह

3. श्री सुनील कुमार सिंह
4. श्री विजय कुमार मिश्र
5. श्री सतीश कुमार
6. श्री मनोज यादव
7. प्रो. नवल किशोर यादव
8. श्री सच्चिदानन्द राय
9. श्री राधाचरण साह

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी 9 निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

10. राजद के पांच माननीय सदस्यों के शेष दो दिनों की कार्यवाही तक निलंबन की घोषणा

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार, श्री दिलीप राय, श्री सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसीन, श्री राधाचरण साह एवं श्री कमर आलम, आपने आसन की अवमानना की है, इसलिए आपको सदन की शेष दो दिनों की कार्यवाही के लिए निलंबित किया जाता है।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 29.11.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

28/11/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 1772(3) / वि.प. पटना, दिनांक 28.11.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार

(प्रमोद कुमार) 28-11-2018
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।